# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
## (पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

**दायरा दिनांक : 20.05.2025**

**अपील संख्या 2025 / 102**

**उनवान**

कालू लाल आयु 78 वर्ष आत्मज मडीलाल खाती, निवासी 153 बापू नगर, आसाराम आश्रम के पास लखावा, जिला कोटा राजस्थान .... अपीलांट

**बनाम**

1. कमला बाई पुत्री नेमीचन्द महाजन
2. कला पुत्री नेमीचन्द महाजन
3. कुसुम पुत्री नेमीचन्द महाजन
4. हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द महाजन, निवासीगण नमक मण्डी कल्याण भवन के पास उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां
6. सीमा जैन पत्नी श्री मनोज जैन महाजन, निवासी कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां
7. ललिता बाई आयु 65 वर्ष पुत्री सुन्दरलाल खाती, निवासी चित्रेश नगर, कोटा जिला कोटा
8. सुशीला बाई आयु 62 वर्ष पुत्री रूपचन्द पत्नी गिरधारी लाल खाती, निवासी महावीर कालोनी, रंगपुर रोड, कोटा जं. कोटा
9. सुरेन्द्र आयु 57 वर्ष पुत्र रूपचन्द खाती, निवासी हरीनगर कालोनी बस स्टैण्ड के पास झालावाड राजस्थान
10. राजेन्द्र आयु 54 वर्ष निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मंगलपुरा, झालावाड राजस्थान
11. साधना आयु 52 वर्ष पुत्री रूपचन्द खाती पत्नी रामावतार निवासिनी रामद्वारा मंगलपुरा जिला झालावाड राजस्थान
12. अरविन्द आयु 50 वर्ष पुत्र रूपचन्द, निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मंगलपुरा झालावाड राजस्थान
13. संजय आयु 38 वर्ष पुत्र नन्द किशोर खाती
14. मनीष आयु 35 वर्ष पुत्र नन्द किशोर खाती
15. आशा आयु 32 वर्ष पुत्री नन्द किशोर पत्नी निर्मल कुमार खाती
16. पार्वती बाई आयु 60 वर्ष पत्नी स्वर्गीय नन्दकिशोर, निवासी कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

उपस्थित – श्री सौरभ गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4, 6 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक : 15.10.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 66/2022 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट व रेस्पोडेंटगण नं. 7 लगायत 16 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 19, 63, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल कुन्जैड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान में नेमीचन्द पुत्र लालचन्द, जाति महाजन, निवासी झालरापाटन, जिला झालावाड राजस्थान के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 192 की खसरा नं. 663 रकबा 3.40 हेक्टर, खसरा नं. 831 रकबा 0.26 हेक्टर, खसरा नं. 832 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 833 रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 834 रकबा 1.45 हेक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 5.31 हेक्टर आराजीयात स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2025 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय वस्तु स्थिति तथा कानूनी के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर आये दस्तावेज, साक्ष्य तथा न्यायिक दृष्टांत की पूर्ण विवेचना किये बिना पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विद्वान तहसीलदार ने नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व बिना किसी प्रकार की जांच किये, बिना अपीलांट को सूचना दिये, बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये, मनमाने तौर पर उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करने में त्रुटि की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विवादित आराजी को अपीलांट के पूर्व सन् 1943 से ही शांतिपूर्वक बिना किसी अवरोध के काश्त करते रहे हैं, तथा आराजी पर संवत 2002 से 2011 तक जैली काश्तकार दर्ज रहे हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से 12 वर्ष पूर्व अपीलांट के पूर्वज व अपीलांट इस पर काबिज काश्त रहे हैं। रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 का इस पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। अदालत मातहत ने मनमाने रूप से इन तथ्यों पर गौर न करके अपना निर्णय पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी के विषय में रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 द्वारा अवैधानिक व विधि विरूद्ध तरीके से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्जी, कुटरचित प्रलेख बहक सीमा जैन पत्नी मनोज जैन के पक्ष में निष्पादित करा दिया था, जो वाद के विचारण के दौरान किया गया अतः वह स्वतः ही विधि विरूद्ध, शून्य प्रभावी था। वाद के लम्बन के दौरान विलेख निष्पादित किया गया था, जो किसी रूप में प्रभावी नहीं था। वादग्रस्त आराजी के अपीलांट काबिज काश्त रहे हैं। रेस्पोडेंट 1 ता 4 विधि विरूद्ध तरीके से आराजी खुर्द बुर्द करना चाहते थे, अतः उन्हें विधि अनुसार निषिद्ध किया जाना, अपीलांट वादी का वाद डिक्री किया जाना निहायत जरूरी था जिस पर गौर नर करते हुए मनमाने रूप से अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश साक्ष्यों के साक्ष्य की विवेचना नहीं करके दावा खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादीगण ने अपना वाद राजस्व रिकार्ड से पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद्यकों का निर्णयन सही रूप से नहीं किया है। आराजी पर अपीलांट काबिज काश्त है, जो उनके द्वारा साक्ष्य से सिद्ध किया गया है, दस्तावेज से कब्जा प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया सीमा जैन का इस आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार तनकी नं. 6 का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। विक्रय ही विधि विरूद्ध था। अतः अपील प्रस्तत कर अपीलांट का विनय है कि अपील विरूद्ध रेस्पोडेंट क्रम 1 ता 4 मय खर्चा स्वीकार की जावे, अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2025 अपास्त किया जाकर वादीगण अपीलांट का वाद खिलाफ रेस्पोडेंट 1 ता 4 डिक्री फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में 88, 89, 91, 92ए, 19, 63, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का दावा किया था। नेमीचन्द ने वादग्रस्त आराजी माधोलाल जो कि हमारे दादा थे उनको रहन रखी थी। वादग्रस्त आराजी पर 2043 से काश्त करते आ रहे हैं। दिनांक 08.03.1943 का तहरीर रहननामा है। नेमीचन्द की मृत्यु के बाद वारिसान के नाम नामान्तरकरण 12 वर्ष बाद खोला गया, वादग्रस्त आराजी का बेचान सीमा जैन को दौराने दावा किया। दिनांक 10.05.22 को 80 सी. पी. सी. का नोटिस जारी किया गया था। हमने जवाबदावा मय काउंटर क्लेम का जवाब उल जवाब पेश किया है। तहरीर, रहननामा व कब्जे के आधार पर हमें वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी दी जाये। रेस्पोडेंट ने मुनाफा काश्त का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। नामान्तरकरण सं. 1266 के आधार पर जर्ये विक्रय पत्र वादग्रस्त आराजी सीमा जैन को विक्रय किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत है, हम वादग्रस्त आराजी पर विधिवत काबिज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

थे। अतः अपील स्वीकार की जाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात गलत निर्णित की गई है। दावे में हमने वाद कारण स्पष्ट अंकित किया है। हमारा पजेशन परमिशिबल एवं विधिमान्य था। अधीनस्थ न्यायालय में मुनाफा काश्त के कथन को साबित नहीं किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर दावा डिक्री किया जाये। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 2004 पेज 30 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादी अपीलांट रेस्पोडेंट नं. 7 लगायत 16 ने दावा किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.03.2025 को वादीगण का दावा खारिज किया है। वादग्रस्त भूमि नेमीचन्द के खाते दर्ज थी, नेमीचन्द की मृत्यु पश्चात नामान्तरकरण सं. 1157 दिनांक 20.04.2022 से वारिसान 1 लगायत 4 (रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 4) के खाते दर्ज कर दी यह वादी द्वारा कथन किया गया है। अपीलांट का कथन है कि हम जैली के रूप में दर्ज थे अतः हमें खातेदारी दी जाये। दिनांक 08.01.1943 में अपीलांट के दादा के नाम नेमीचन्द ने तहरीर निष्पादित की थी। माधोलाल वादी अपीलांट के दादा थे। असल तहरीर और उसकी प्रमाणित प्रति पेश नहीं की गई है जो अपंजीकृत है। प्रतिवादी 1 लगायत 4 ने सीमा जैन को खातेदार होने के कारण पंजीकृत विक्रय पत्र से वादग्रस्त आराजी का बेचान किया। नामान्तरकरण दर्ज होकर खाते दर्ज हो चुकी है। दावा अवधि बाहर है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.01.2024 को अस्थायी निषेधाज्ञा एवं दिनांक 12.11.2024 को अपील खारिज की है। वादीगण ने शहादत पेश नहीं की है। प्रतिवादीगण ने पॉच लोगों के बयान करवाये हैं। वादीगण ने जो दस्तावेज पेश किये हैं उन्हें साबित नहीं करवाया अतः कानूनन स्वीकार नहीं है। संवत 2012 की जमाबंदी पेश नहीं होने से उपकृषक नहीं माना जा सकता। संवत 2003 में उपकृषक की एन्ट्री है परन्तु खसरा गिरदावरी का वार्षिक रजिस्टर नहीं है। पुराने कब्जे व एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती। कृषि भूमि पांति पर देने से एडवर्स पजेशन प्राप्त नहीं होता। वादी/अपीलांट अपना दावा साबित नहीं कर पाये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में 1994 आर.आर.डी. पेज 1 (एच.सी.), 1977 आर.आर.डी. पेज 400, 1977 आर.आर.डी. पेज 19, 2011 आर.बी.जे. पेज 387, 2024 (2) आर.आर.टी. पेज 1401 (एच.सी.) 2022 (1) आर.आर.टी. पेज 68, 2022 (2) आर.आर.टी. पेज 815, 1988 आर. आर.डी. पेज 581, 1988 आर.आर.डी. पेज 420 की नजीरे उद्धरत की।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलांट वादी कम 7 ने अन्य वादीगणों के साथ अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में एक सादा कागज पर निष्पादित तहरीर की फोटो प्रति एवं कब्जे के आधार पर धारा 88, 89, 91, 92ए, 19, 63, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा प्रस्तुत कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई उभयपक्ष पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 20.03.2025 से वादीगण का वाद खारिज किया है।

वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.03.2025 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से कथन किया है कि विवादित आराजी को अपीलांट के पूर्वज सन् 1943 से ही शांतिपूर्वक बिना किसी अवरोध के काश्त करते रहे हैं तथा आराजी पर संवत 2002 से 2011 तक जैली काश्तकार दर्ज रहे हैं, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से 12 वर्ष पूर्व अपीलांट के पूर्वज व अपीलांट इस पर काबिज काश्त रहे हैं, रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4 का इस पर कभी भी कब्जा नहीं रहा। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने दावे को साबित करने के लिए जो दस्तावेज एवं राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है उसमें प्रमाणित नकल केवल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग ग्राम कुंजेड, तहसील अटरू एवं खसरा सफाई भू प्रबन्ध विभाग संवत 2013 से 2032 है इसके अलावा अन्य सभी दस्तावेज राजस्व रिकार्ड की फोटो प्रतियां होने से विधिवत रूप से पठनीय नहीं है। प्रमाणित नकल खसरा सफाई भू प्रबन्ध विभाग संवत 2013 से 2032 (सन 1956 से 1975 ई.) में नेमीचन्द वल्द लालचन्द का नाम खातेदार के रूप में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के बाद भी नेमीचन्द वल्द लाल चन्द खातेदार के रूप में संवत 2032 (1975) तक दर्ज रिकार्ड रहे हैं। नकल जमाबंदी संवत 2074 – 2077 ग्राम कुंजेड, तहसील अटरू खाता सं. 192 के अनुसार विवादित आराजी खातेदार नेमीचन्द के वारिसान प्रतिवादी कम 1 ता 4 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, जो उनके पिता नेमीचन्द की मृत्यु के बाद विरासत के नामान्तकरण से उनके खाते दर्ज हुई है। इससे प्रथम दृष्टया यही साबित होता है कि विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद सतत मृतक नेमीचन्द व उसके वारिसान प्रतिवादी कम 1 ता 4 के खाते दर्ज रिकार्ड रही है। वादी अपीलांट ने 1943 से विवादित आराजी पर अपने पूर्वजों के शांतिपूर्वक कब्जे को साबित करने के लिए राजस्व रिकार्ड की कोई प्रमाणित नकल अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है। वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेज राजस्व रिकार्ड की फोटो प्रतियां होने से विधि मान्य रूप से पठनीय/स्वीकार योग्य नहीं है। वादी अपीलांट का यह कथन कि वे संवत 2002 से 2011 तक जैली काश्तकार दर्ज रहे हैं परन्तु अपने इस कथन की पुष्टि हेतु भी वादी अपीलांट द्वारा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित नकल पेश नहीं की है। इसके विपरीत प्रतिवादी रेस्पोडेंटगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1994 (एच.सी.) राम प्रताप एवं अन्य बनाम रेवेन्यु बोर्ड एवं अन्य – (1) में पारित निर्णय दिनांक 06.01.1993 के अनुसार – Persons cultivating land in the capacity of 'Zaily' of the former State of Kotah could not get any khatedari rights since they were not recorded as 'khatedar' in the revenue record.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अवलोकन अनुसार वादी अपीलांट राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी पर जैली के रूप में अपने पूर्वजों का नाम अंकित होने के आधार पर प्रतिवादी कम 1 ता 4 के पिता नेमीचन्द की खातेदारी भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उसके पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व राजस्व रिकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड नहीं थे।

रेस्पोडेंट प्रतिवादी 1 ता 4 का नाम नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 के अनुसार विवादित आराजी में विरासत के नामान्तरकरण से दर्ज होने पर उनके द्वारा खातेदार की हैसियत से विवादित आराजी का बेचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.07.23 प्रदर्श–4 से रेस्पोडेंट कम 6 के पक्ष में कर कब्जा संभलाया गया है। ततपश्चात इसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट कम 6 का नाम राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी संवत 2074–2077 प्रदर्श 1 में दर्ज हुआ है। नकल नामान्तरकरण प्रदर्श 3 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है। वादी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने दस्तावेजों को प्रमाणित नहीं करवाया गया और ना ही अपने दावे को साबित करने के लिए कोई गवाह प्रस्तुत किये गये। वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मुनाफा काश्त की तहरीर की फोटो प्रति एवं पुराने कब्जे के आधार पर भी वादी अपीलांट को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते। वर्तमान में विववादित आराजी रेस्पोडेंट कम 6 सीमा जैन पत्नी श्री मनोज जैन के खाते जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दर्ज हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न पैमाईश रिपोर्ट, शपथ पत्र गवाह हुकमचंद पुत्र नेमीचन्द डी. डब्ल्यू. 2, शरीफ मोहम्मद पुत्र गनी मोहम्मद डी. डब्ल्यू. 3, मनीष जैन पुत्र नेम कुमार जैन डी. डब्ल्यू. 4, युवराज पुत्र इन्द्रभान डी. डब्ल्यू. 5 के अनुसार विवादित आराजी खाता सं. 192 कुल किता 5 कुल रकबा 5.31 हेक्टर पर प्रतिवादिया रेस्पोडेंट कम 6 का कब्जा काश्त होना साबित है। वादी अपीलांट राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित नकलों के अभाव में अपने कब्जे को साबित करने में असफल रहा है। विवादित आराजी का बेचान पूर्व खातेदारों द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादिया रेस्पोडेंट कम 6 के पक्ष में करते हुए कब्जा संभलाया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों से वर्तमान में विवादित आराजी पर केता सीमा जैन का कब्जा काश्त होना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

साबित है। प्रतिवादिया रेस्पोडेंट कम 6 सीमा जैन के पक्ष में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट कम 1 ता 4 द्वारा विवादित आराजी के बेचान के सन्दर्भ में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.07.23 प्रदर्श 4 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसे खारिज करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः अपीलाधीन निर्णय में हम अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/10/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

**Iud/Civ**
**Part IV-4**

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
**दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)**

कालू लाल आयु 78 वर्ष आत्मज मडीलाल खाती, निवासी 153 बापू नगर, आसाराम आश्रम के पास लखावा, जिला कोटा राजस्थान

.... **अपीलांट**

**बनाम**

1. कमला बाई पुत्री नेमीचन्द महाजन
2. कला पुत्री नेमीचन्द महाजन
3. कुसुम पुत्री नेमीचन्द महाजन
4. हुकमचन्द पुत्र नेमीचन्द महाजन, निवासीगण नमक मण्डी कल्याण भवन के पास उज्जैन, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां
6. सीमा जैन पत्नी श्री मनोज जैन महाजन, निवासी कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां
7. ललिता बाई आयु 65 वर्ष पुत्री सुन्दरलाल खाती, निवासी चित्रेश नगर, कोटा जिला कोटा
8. सुशीला बाई आयु 62 वर्ष पुत्री रूपचन्द पत्नी गिरधारी लाल खाती, निवासी महावीर कालोनी, रंगपुर रोड, कोटा जं. कोटा
9. सुरेन्द्र आयु 57 वर्ष पुत्र रूपचन्द खाती, निवासी हरीनगर कालोनी बस स्टैण्ड के पास झालावाड राजस्थान
10. राजेन्द्र आयु 54 वर्ष निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मंगलपुरा, झालावाड राजस्थान
11. साधना आयु 52 वर्ष पुत्री रूपचन्द खाती पत्नी रामावतार निवासिनी रामद्वारा मंगलपुरा जिला झालावाड राजस्थान
12. अरविन्द आयु 50 वर्ष पुत्र रूपचन्द, निवासी बोहरा दुर्गाशंकर जी का नोहरा मंगलपुरा झालावाड राजस्थान
13. संजय आयु 38 वर्ष पुत्र नन्द किशोर खाती
14. मनीष आयु 35 वर्ष पुत्र नन्द किशोर खाती
15. आशा आयु 32 वर्ष पुत्री नन्द किशोर पत्नी निर्मल कुमार खाती
16. पार्वती बाई आयु 60 वर्ष पत्नी स्वर्गीय नन्दकिशोर, निवासी कुन्जेड, तहसील अटरू, जिला बारां राजस्थान

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2025 / 102**
मु.द.नं0 **66 / 2022**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **20.03.2025**

**दावा बाबत**

माह अपील व तारीख **06 माह 10 सन् 2025**

श्री **सौरभ गोस्वामी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **नरेन्द्र गुप्ता** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ता 4, 6 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

**अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2025 यथावत रखा जाता है।**

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **15 माह 10 सन् 2025** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)